183

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक पन्ना/एक/निगरानी/भू-रा/2017/
I/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/3392

महेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, आयु-58 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी, निवासी- ग्राम बडागांव तहसील व जिला पन्ना

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1 मनोरमा पत्नि श्री रामकिशोर अहिरवार

2 रामकिशोर अहिरवार, पटवारी ग्राम बडागांव, तहसील व जिला पन्ना

निवासीगण- ग्राम बडागांव, तहसील व जिला पन्ना

3 म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना

.........अनावेदकगण

Amendment as per order dt 2/1/18
Rohit Jain 17/1/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 19/09/2013 अभ्यावेदन 936/अ-20/2007-08 न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर

आज दि. 19-9-17 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
CR 29.9.17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I / निगरानी / पन्ना / भू0रा0 / 2017 / 3392

महेन्द्र सिंह विरूद्ध मनोरमा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 936 / अ-20 / 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 19-9-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 19-9-2017 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब के संबंध में आवेदक अभिभाषक पक्षकार का अनपढ़ एवं गरीब किसान होने का तर्क किया तथा तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किया जाकर निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 19-9-2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19-9-2017 को लगभग 4 वर्ष के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आवेदक एवं उनके अभिभाषक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में 2010(4) एम.पी.एल.जे. 49 वंशीधर गोयनका विरूद्ध आलोक कुमार तथा अन्य में प्रतिपादित न्यायदृष्टांत का उल्लेख करते हुये व्यक्त किया कि न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। किन्यु इस प्रकरण के तथ्य को देखने से विदित होता है कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया था। इस	

कारण आदेश की समय पर सूचना नहीं पाई थी। आवेदक अभिभाषक द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने के समर्थन में जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वे भिन्न तथ्यों पर आधारित हैं। इसी प्रकार 2012(4) एम.पी.एल.जे. 557 पुष्पाबाई गुप्ता विरूद्ध संतोष कुमार गुप्ता प्रतिपादित न्यायदृष्टांत में उल्लेख किया गया है जिसमें स्वयं यह लिखा है कि विलम्ब के लिए माफी के संबंध में दृष्टिकोण न्यायोन्मुख होना चाहिए। इस प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया है। अतः प्रस्तुत यह न्यायदृष्टांत इस मामले में चाहे गये अनुतोष से नितांत ही मेल न खाकर उसके ठीक विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। दिन–प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में आवेदक की ओर से ऐसा कोई ठास समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है जिसके आधार पर विलम्ब को क्षमा किया जा सके। लगभग 4 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बतलाये जाने के फलस्वरूप यह निगरानी आवेदन अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे0के0 जैन)
सदस्य